न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा

पीठासीन अधिकारी–राकेश धर दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02008

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 1202/2026

(CNR No. UPET010041352026)

भूरे सिंह उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र महावीर प्रसाद, निवासी ग्राम नगला धम्पी, थाना जैथरा, जिला एटा। ----आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0 राज्य -----अभियोजक

मु०अ०सं0–125/2026
धारा–103(1),238 बी०एन०एस०
थाना–जैथरा, जिला एटा।

10.07.2026

आवेदक/अभियुक्त **भूरे सिंह** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**125/2026** अन्तर्गत धारा–**103(1),238 बी०एन०एस०,** थाना **जैथरा**, जिला एटा के मामले में जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 15.04.2026 को शाम समय करीब 08.00 बजे वादी रामकिशन का भाई जितेन्द्र उर्फ उन्ना को नगला धम्पी के विनोद व भुरे सिंह, जो शराब के नशे में थे, बुलाकर ले गये। भूरे सिंह का उसके भाई के ऊपर खेती के पैसो के लेनदेन का विवाद था, पैसो के लेनदेन के सम्बन्ध मे आपस में कहासुनी हुई थी, इसी बात को लेकर इन दोनो ने मिलकर उसके भाई जितेन्द्र उर्फ उन्ना को गाँव से 300 मीटर मीटर दूरी पर ले जाकर अंगौछा से गला घोटकर उसकी हत्या की है, उसके भाई पर रेडमी कम्पनी का मोबाइल था, जिसका नम्बर 9084636340 है, जो उसके भाई के शव से नहीं मिला है, जो इन्हीं के पास होगा।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है। उसे मुकदमा उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्बित है, जिसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से पूर्व दिनांक 16.04.2026 को 06.32 A.M. पर रामकिशन की तहरीर पर ही जी०डी० नं0–13 में मृतक का शव पड़े होने की सूचना थाने पर दर्ज हुई, जिसके अनुसार दिनांक 15.04.2026 को मृतक घर से कहीं चला गया और उसके अगले दिन शव पड़ा मिला, जिसमें अभियुक्तगण नामित नहीं हैं और ना उन पर हत्या करने का आरोप है। जी०डी० नं0–13 पर अंकित सूचना के आधार पर पुलिस ने दिनांक

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.07.10 14:53:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

16.04.2026 को 8:30 A.M. से 11:00 बजे तक मृतक का पंचायतनामा तैयार किया। पंचायतनामें में वादी रामकिशन भी पंचायतनामे का गवाह है, परन्तु पंचायतनामे के समय भी उसके द्वारा किसी अभियुक्त को नामित नहीं किया गया और न आवेदक द्वारा हत्या करना बताया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करती। आवेदक को कथित घटना कारित करने का कोई मोटिव नहीं है और ना ही कोई प्रत्यक्षदर्शी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। दिनांक 16/17.04.2026 की रात्रि करीब 12:34 बजे आवेदक व सह–अभियुक्त विनोद की गिरफ्तारी हुई, परन्तु उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। अभियोजन के अनुसार गिरफ्तारी के पश्चात् मुल्जिमान की संयुक्त निशानदेही पर घटना स्थल के पास से एक गमछा बरामद किया गया और वहीं से मृतक का मोबाइल मिला। वास्तव में पुलिस द्वारा फर्जी बरामदगी दर्शायी गयी है और इसी कारण कथित बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है। दिनांक 16.04.2026 को प्रातः काल ही घटना स्थल पर शव को पुलिस द्वारा सील किया गया एवं घटना स्थल का निरीक्षण हुआ, फिर भी उस समय गमछे का न होना और मोबाइल का न होना और कुछ समय बाद उसी स्थल से मुल्जिमान की निशानदेही पर बरामदगी दर्शाना विश्वसनीय नहीं है। उसके विरूद्ध कोई सीधी व चश्मदीद साक्ष्य नहीं है पस्थितिजन्य साक्ष्य आवेदक को कथित घटना से नहीं जोड़ती। कथित घटना के करीब 15 दिन बाद मृतक के भाई धर्मेन्द्र, विशम्भर ने विवेचक के सामने प्रथम बार यह उल्लेख किया कि उन्होंने दिनांक 15.04.2026 को शाम 8:00 बजे मृतक को बुलाकर ले जाते देखा। धर्मेन्द्र ने यह स्पष्ट किया कि सभी भाईयों के अलग–अलग मकान हैं, किस घर से मृतक को बुलाकर ले जाया गया, इस पर विरोधाभासी बयान है। धर्मेन्द्र अपने बयान में अपने घर से मृतक को ले जाना कहता है, जबकि विशम्भर अपने घर से मृतक को ले जाना कहता है, रामबेटी मृतक को अपने घर से ले जाना बताती है तथा विवेचक ने उस स्थान का नक्शा भी नहीं बनाया, जिस स्थान से मृतक को ले जाना बताया जाता है। अवनीश, वीरी सिंह, ईश्वर दयाल पंचायतनामे के गवाह हैं, जिन्होंने पंचायतनामे के समय घटना के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया, फिर घटना के करीब 15 दिन बाद विवेचक को साक्ष्य दी कि उन्होंने मृतक के घर से मुल्जिमान को मृतक को ले जाते देखा। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त आधारों पर आवेदक/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है, जिसने सहअभियुक्त विनोद के साथ मिलकर पैसो के लेन–देन के विवाद को लेकर वादी के भाई की हत्या गमछे से गला घोंटकर कर साक्ष्य के विलोपन के आशय से शव को खेत में डाल दिया। दौरान गिरफ्तारी अभियुक्तगण ने अपनी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल गमछा एवं मृतक का मोबाइल बरामद कराया। अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

केस डायरी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर सहअभियुक्त विनोद के साथ मिलकर पैसो के लेन–देन के विवाद को लेकर वादी के भाई जितेन्द्र की हत्या गमछे से गला घोंटकर कर साक्ष्य के विलोपन के आशय से शव को खेत में डाल देने का अभियोग है। मृतक जितेन्द्र की शव–विच्छेदन आख्या के अनुसार उसके शरीर पर कुल 12 चोटें आयीं है एवं मृतक की मृत्यु का कारण, मृत्यु पूर्व गला दबाने (गला घोंटने) के फलस्वरूप उत्पन्न श्वासावरोध के कारण होना अंकित है। दौरान गिरफ्तारी अभियुक्तगण ने घटना में प्रयुक्त आला कत्ल गमछा एव मृतक का मोबाइल अपनी निशांदेही पर बरामद कराया है।

बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से पूर्व वादी रामकिशन की तहरीर पर मृतक का शव पड़े होने की सूचना थाने पर दर्ज की गयी थी, जिसमें केवल यह उल्लेख है कि दिनांक 15.04.2026 को मृतक घर से कहीं चला गया था तथा उक्त जी०डी० के आधार पर पंचायतनामा की कार्यवाही सम्पन्न की गयी, किन्तु उस समय वादी अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा न तो आवेदक को नामित किया गया और न ही उसके विरुद्ध हत्या का आरोप लगाया गया। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि जी०डी० संख्या–13 में केवल शव पड़े होने की सूचना अंकित करायी गयी थी, जिसका उद्देश्य पुलिस को तत्काल घटना की जानकारी देना था, न कि घटना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना। साथ ही उक्त जी०डी० में यह भी अंकित है कि मृतक की पत्नी गूंगी है, जिससे यह प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट है कि उस समय परिजनों के पास घटना के संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं थी। विवेचना के दौरान, केस डायरी के पर्चा संख्या–06 में साक्षी धर्मेन्द्र एवं विशम्भर ने स्पष्ट रूप से कथन किया कि दिनांक 15.04.2026 की सायंकाल विनोद एवं भूरे, शराब के नशे में, मृतक जितेन्द्र को उसके घर से बुलाकर अपने साथ ले गये थे। अतः मात्र इस कारण कि प्रारम्भिक सूचना अथवा पंचायतनामा की कार्यवाही के समय आवेदक का नाम नहीं लिया गया, अभियोजन की संपूर्ण कहानी को प्रथम दृष्टया अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक/अभियुक्त व सहअभियुक्त विनोद के विरुद्ध नामजद अंकित करायी गयी है, जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है एवं मामला सत्र सुपुर्द किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त पर आरोपित अपराध प्रथम दृष्ट्या गंभीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **भूरे सिंह** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**125/2026** अन्तर्गत धारा–**103(1),238 बी०एन०एस०,** थाना **जैथरा**, जिला एटा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(राकेश धर दुबे)

दिनॉकः 10.07.2026 सत्र न्यायाधीश, एटा।